राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांकःआर0एम0पी0यू0/1852/2024 दिनांकः 07, सितम्बर, 2024

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय

अलीगढ़।

विषयः राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2024 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में दिये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–62 मा0मु0/सत्तर–3–2024 दिनांक 05 सितम्बर, 2024 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सम्पन्न समीक्षा बैठक में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

07/9/24

(अजय कृष्ण यादव)

कुलसचिव

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त संकायाध्यक्ष, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. समस्त संयोजक, अध्ययन परिषद, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
3. समन्वयक, एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/रोवर रेंजर्स/राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
4. समन्वयक, शोध एवं विकास समिति, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
5. निजी सचिव, मा0 कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

07.09.2024

उप कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महत्वपूर्ण

संख्या-62 मा0मु0/सत्तर-3-2024

प्रेषक,

शिपू गिरि,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक**, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. **कुलसचिव**, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 05 अगस्त, 2024

विषय : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी कियान्वयन के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2024 को सम्पन्न समीक्षा बैठक विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-26/स.बै./34-लो. शि.-4/2024, दिनांक 14.08.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2024 को सम्पन्न उक्त समीक्षा बैठक एवं प्रस्तुतिकरण में हुई चर्चा तथा मा0 मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देश विषयक कार्यवृत्त उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में उक्त संदर्भित कार्यवृत्त दिनांक 14.08.2024 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(शिपू गिरि)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2- अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0 को प्रश्नगत प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही कराने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

3- प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

4- समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(एस0पी0 मिश्र)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सम्पन्न समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा विभाग हेतु दिये गये निर्देश:-

क्र0	निर्देश बिन्दु	कार्यवाही
(1)	शैक्षिक संस्थानों में सकल नामांकन दर (GER) बढ़ाने हेतु अनवरत प्रयास किया जाय। विभाग का लक्ष्य आगामी 10 वर्षों में सकल नामांकन दर (GER) 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किये जाने के लक्ष्य को रखकर प्रयास किए जाएं।	समस्त विश्वविद्यालय/ उच्च शिक्षा अनुभाग-1/उच्च शिक्षा अनुभाग-5
(2)	शोध कार्य केवल एकेडमिक विषयों पर ही न कराया जाय, अपितु ज्वलन्त तथा महत्वपूर्ण विषयों पर भी गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य कराया जाय, अपितु ज्वलन्त तथा महत्वपूर्ण विषयों पर भी गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य कराया जाए, जिससे आम जनमानस को उस शोध कार्य का व्यावहारिक लाभ प्राप्त हो सके, शोध पेपर का प्रतिष्ठित जनरलों में प्रकाशन कराया जाय।	समस्त विश्वविद्यालय
(3)	प्रति वर्ष शैक्षिक संस्थानों में सेमिनार का आयोजन किया जाता है। सेमिनार सम्पन्न होने के पश्चात उसका क्या परिणाम निकला है, उसको प्रकाशित कराया जाय तथा संस्तुतियों को अमल में लाया जाए।	समस्त विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा निदेशालय
(4)	महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में सदी के महान साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन के नाम से शोध पीठ की स्थापना की जाय, जिससे साहित्य जगत में उनके व्यक्तित्व-कृतित्व पर शोध अध्ययन के लिये युवाओं को उचित मंच प्रदान होने के साथ-साथ उनकी उपलब्धियों से आम जनमानस को परिचित कराया जा सके।	उच्च शिक्षा अनुभाग-4
(5)	सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के पश्चात वर्ष में दो बार परीक्षाएं होती हैं, ऐसी स्थिति में सेमेस्टरवार परीक्षा की अवधि कम करने पर विचार कर निर्णय लिया जाय। इसी के साथ इंटरनल परीक्षाएं कक्षाओं में ही ली जायें ताकि समयान्तर्गत परीक्षाएं सम्पन्न हो सकें। जून माह में अत्यधिक गर्मी होने के दृष्टिगत यह भी सुनिश्चित किया जाय कि वार्षिक परीक्षाएं मई माह तक सम्पन्न करा ली जायें।	समस्त विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा अनुभाग-1
(6)	सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व विद्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाकर परिसर को स्वच्छ बनाया जाय।	समस्त विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा निदेशालय
(7)	निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्रायः शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। निजी विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों, फैकल्टी, प्रयोगशाला, आधारभूत सुविधाओं की ऑडिट	उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद /उच्च शिक्षा अनुभाग-1/

Nikhil LO

Scanned with OKEN Scanner

	रिपोर्ट प्राप्त की जाय तथा निजी विश्वविद्यालयों को भी समर्थ पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया जाय।	उच्च शिक्षा अनुभाग-3
(8)	विभागों द्वारा शैक्षिक गतिविधियों के उच्च गुणवत्तापूर्ण संचालन हेतु अच्छे मॉडल जिन्हें अन्य प्रदेशों द्वारा भी अपनाया गया है विकसित किए जाएं जैसे-प्रोजेक्ट अलंकार, अटल आवासीय योजना, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा बोर्ड परीक्षा एक माह के भीतर सम्पन्न कराया जाना आदि। इसी प्रकार के अन्य मॉडल भी विकसित किये जायें जो देश के लिए एक आदर्श बन सकें और उसे अन्य प्रदेशों के द्वारा भी replicate किया जा सके।	समस्त विश्वविद्यालय
(9)	शिक्षा में स्थानीय भाषा का उपयोग अधिकतम किया जाय, इससे छात्र अपने पुरातन ज्ञान परम्परा से भिज्ञ हो सकें। शिक्षा में इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि छात्र प्राचीन ज्ञान के साथ-साथ नई तकनीक एवं वैज्ञानिक ज्ञान से परिचित हो सकें, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का पालन सुनिश्चित किया जाय। नवाचार व कौशल आधारित शिक्षा को अपनाया जाय।	समस्त विश्वविद्यालय/ उच्च शिक्षा अनुभाग-3
(10)	शैक्षणिक संस्थानों में मल्टीपल इन्ट्री/एक्जिट को धरातल पर लागू किया जाय, बहुविषयी (Multi disciplinary) शिक्षा पर बल दिया जाय तथा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की व्यवस्था को लागू किया जाय, जिससे छात्र विषय-विशेषज्ञों से ज्ञान प्राप्त कर सकें।	समस्त विश्वविद्यालय/ उच्च शिक्षा अनुभाग-3
(11)	अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को अप्रेन्टिस से जोड़ा जाय।	समस्त विश्वविद्यालय
(12)	संस्थानों की नैक रैंकिंग के साथ ही NIRF/NBA में क्या रैंकिंग है, इसे भी देखा जाय, NIRF/NBA में अच्छी रैंकिंग प्राप्त करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।	समस्त विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा निदेशालय
(13)	शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित की जाय तथा कौशल विकास एवं रोजगारपरक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय। भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) से शिक्षा को जोड़ा जाय।	समस्त विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा निदेशालय/ उच्च शिक्षा अनुभाग-3
(14)	विविध भाषाओं, जिनमें विदेशी भाषाएं भी हों, का ज्ञान छात्रों को दिया जाय, जिससे विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।	समस्त विश्वविद्यालय

Nikhil11.0

Scanned with OKEN Scanner

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संख्या 26/स.बै./34-लो.शि.-4/2024 दिनांक 14अगस्त, 2024

मानीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 11 अगस्त, 2024 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सम्पन्न समीक्षा बैठक एवं प्रस्तुतीकरण में हुई चर्चा तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देश

- सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को उच्च शिक्षण संस्थानों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण, सार्वभौमिक एवं रोजगारपरक शिक्षा, भारतीय ज्ञान परम्परा को प्रोत्साहन, व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम, ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण रोजगारपरक कार्यक्रम, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, उच्च शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग करने के लिए उठाए गए कदम, शोधकर्ताओं की संख्या में वृद्धि, केन्द्र सरकार द्वारा तय किए गए 18 Actionable Points के माध्यम से NEP कार्यान्वयन की स्थिति एवं विश्वविद्यालय, कॉलेज सुदृढ़ीकरण, MERU, Gender Inclusion और समानता पहल के लिए PM-USHA अनुदान, नवाचार और अनुसंधान में सुधार के लिए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों द्वारा MoU तथा समर्थ पोर्टल में किए गए कार्यों के कार्यान्वयन की स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया।
- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग द्वारा शैक्षणिक लचीलेपन (Academic Flexibility), बहुसंख्यक एवं समग्र शिक्षा का विकास (Multidisciplinary and Holistic Education), अवधारणात्मक समझ पर जोर (Emphasis on Conceptual Understanding), रचनात्मक और तार्किक सोच (Creativity and Critical Thinking) , नैतिकता, मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य (Ethics, Human and Constitutional Values), बहुभाषिता एवं भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन (Multilingual and Power of Language), जीवन कौशल (Life Skills), तकनीकी के उपयोग पर जोर (Extensive Use of Technology) तथा हल्का परन्तु प्रभावी नियामक ढाँचे (Light but Tight Regulatory Framework) के सम्बन्ध में विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण किया गया।
- सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में संचालित की जाने वाली गतिविधियां, शैक्षणिक सत्र 2023-2024 में नए पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन में आ रही चुनौतियों एवं कृषि

Scanned with OKEN Scanner

विश्वविद्यालयों में लागू करने हेतु आवश्यक पहल तथा नवोन्मेषी रणनीतियों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यो एवं उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण किया गया।

- ❖ महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पाठ्यक्रमों का डिजाइन एवं संचालन, व्यावसायिक शिक्षा व हैल्थ ऐजुकेशन प्रोफैशनल का करिकुलम डिजाइन करने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यो एवं उपलब्धियों यथा-नेशनल कमीशन फॉर ऐलाइड ऐण्ड हैल्थ केयर प्रोफैशन्स ऐक्ट-2021 के क्रम में राज्य स्तरीय कमीशन के गठन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं सामुदायिक चिकित्सा, नैशनल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी कमीशन ऐक्ट-2023 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया।
- ❖ प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निपुण भारत मिशन, को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्रों को बाल वाटिका कक्षा घोषित किए जाने, छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न क्लबों के गठन, परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना, दिव्यांग बच्चों को स्टाइपेन्ड की व्यवस्था, प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करना एवं शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच, स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र तथा शिक्षक, शिक्षक क्षमता का संवर्धन, समतामूलक और समावेशी शिक्षा तथा स्कूल कॉम्पलैक्स/क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेस के सम्बन्ध में विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यो एवं उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण किया गया।
- ❖ अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा करिकुलम और पेडागॉजी, मूल्यांकन तथा परीक्षा व्यवस्था में सुधार एवं शिक्षकों का क्षमता संवर्धन एवं शिक्षक भर्ती, कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेस, शिक्षा में तकनीकी, गिफ्टेड विद्यार्थी समर्थन व्यवस्था तथा व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के सम्बन्ध में विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यो एवं उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण किया गया।

बैठक में समीक्षा के उपरान्त माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए:-

- ➢ शैक्षिक संस्थानों में सकल नामांकन दर (GER) बढ़ाने हेतु अनवरत प्रयास किए जाएं। विभाग द्वारा आगामी 10 वर्षो में सकल नामांकन दर (GER) 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किए जाने के लक्ष्य को रखकर प्रयास किए जाएं।
- ➢ शोध कार्य केवल ऐकेडमिक विषयों में ही न कराया जाए, अपितु ज्वलन्त तथा महत्वपूर्ण विषयों पर भी गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य कराया जाए, जिससे आम

Scanned with OKEN Scanner

जनमानस को उस शोध कार्य का व्यावहारिक लाभ प्राप्त हो सके; शोध पेपरों का प्रतिष्ठित जनरलों में प्रकाशन कराया जाए।

- प्रति वर्ष शैक्षिक संस्थानों में सेमिनारों का आयोजन किया जाता है। सेमिनार सम्पन्न होने के पश्चात उसका क्या परिणाम निकला है, उसको प्रकाशित कराया जाए तथा संस्तुतियों को अमल में लाया जाए।
- महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में सदी के महान साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन के नाम से शोध पीठ की स्थापना की जाए, जिससे साहित्य जगत में उनके व्यक्तित्व-कृतित्व पर शोध अध्ययन के लिए युवाओं को उचित मंच प्रदान होने के साथ-साथ उनकी उपलब्धियों से आम जनमानस को परिचित कराया जा सके।
- सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के पश्चात वर्ष में दो बार परीक्षाएं होती हैं; ऐसी स्थिति में सेमेस्टरवार परीक्षा की अवधि कम करने पर विचार कर निर्णय लिया जाए। इसी के साथ इन्टरनल परीक्षाएं कक्षाओं में ही ली जाएं ताकि समयान्तर्गत परीक्षाएं सम्पन्न हो सकें। जून माह में अत्यधिक गर्मी होने के दृष्टिगत यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वार्षिक परीक्षाएं मई माह तक अवश्य सम्पन्न करा ली जाएं।
- सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व विद्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाकर परिसरों को स्वच्छ रखा जाए।
- निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्रायः शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। निजी विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों, फैकल्टी, प्रयोगशाला, आधारभूत सुविधाओं की ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त की जाए तथा निजी विश्वविद्यालयों को भी समर्थ पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया जाए।
- विभागों द्वारा शैक्षिक गतिविधियों के उच्च गुणवत्तापूर्ण संचालन हेतु अच्छे मॉडल जिन्हें अन्य प्रदेशों द्वारा भी अपनाया गया है विकसित किए जाएं जैसे-प्रोजेक्ट अलंकार, अटल आवासीय योजना, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा बोर्ड परीक्षा एक माह के भीतर सम्पन्न कराया जाना आदि। इसी प्रकार के अन्य मॉडल भी विकसित किए जाएं जो देश के लिए एक आदर्श बन सकें और उसे अन्य प्रदेशों द्वारा भी replicate किया जा सके।
- शिक्षा में स्थानीय भाषा का उपयोग अधिकतम किया जाए, जिससे छात्र अपने पुरातन ज्ञान परम्परा से भिज्ञ हो सकें। शिक्षा में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि छात्र प्राचीन ज्ञान के साथ-साथ नई तकनीक एवं वैज्ञानिक ज्ञान से परिचित

Scanned with OKEN Scanner

हो सकें; नैशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का पालन सुनिश्चित किया जाए तथा नवाचार व कौशल आधारित शिक्षा को अपनाया जाए।

- शैक्षणिक संस्थानों में मल्टीपल इन्ट्री/ऐक्जिट को धरातल पर लागू किया जाए; बहुविषयी (Multi disciplinary) शिक्षा पर बल दिया जाए तथा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की व्यवस्था को लागू किया जाए, जिससे छात्र विषय-विशेषज्ञों से ज्ञान प्राप्त कर सकें।
- अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों को अपेन्टिसशिप से जोड़ा जाए।
- संस्थानों की नैक रैंकिंग के साथ ही NIRF/NBA में क्या रैंकिंग है, इसे भी देखा जाए; NIRF/NBA में अच्छी रैंकिंग प्राप्त करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए तथा कौशल विकास एवं रोजगारपरक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) से शिक्षा को जोड़ा जाए।
- विविध भाषाओं जिनमें विदेशी भाषाएं भी हों, का ज्ञान छात्रों को दिया जाए, जिससे विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।
- कृषि शिक्षा के पाठ्यक्रमों को वर्तमान में आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप अद्यतन किया जाना चाहिए, जिससे मैरिट युक्त बच्चों में कृषि शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़े और वे कृषि शिक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के प्रति आकर्षित हों। पाठ्यक्रमों में कृषि की विद्यमान चुनौतियां और उनको हल करने सम्बन्धी नई वैज्ञानिक पद्धतियों पर ध्यान देने के साथ-साथ प्राकृतिक खेती जैसे विषयों को विशेष रूप से सम्मिलित करना चाहिए, जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन किए जाने के मॉडल विकसित हो सकें। राज्य के 09 ऐग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में जलवायु के अनुरूप फसलों का चिन्हांकन करते हुए कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं कृषि विश्वविद्यालयों को उपरोक्त विषय में उन्नत कृषि के डिमॉन्स्ट्रेशन और मॉडल के रूप में कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि क्षेत्र में अपार सम्भावनाएं हैं। देश में महज 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के हिस्सेदारी के बावजूद खाद्यान उत्पादन में राज्य का हिस्सा लगभग 20 प्रतिशत है। राज्य की जलवायु एवं सिंचाई के संसाधन की उपलब्धता के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य में खाद्यान के औसत उत्पादन में वृद्धि की असीम सम्भावनाएं हैं, जिसे लक्षित कर प्राप्त करने के लिए कृषि शिक्षा और अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है। कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं स्थापित सैण्टर आफ ऐक्सीलैन्स के अन्तर्गत इस विषय में किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता के सतत्

Scanned with OKEN Scanner

रूप से मूल्यांकन की व्यवस्था बनायी जानी चाहिए, जिससे शोध का लाभ राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को प्राप्त हो सके।

- शिक्षण संस्थाओं में सभी रिक्तियों को शीघ्र भरा जाए; रिक्तियों को भरते समय आकांक्षात्मक जनपदों/विकास खण्डों को वरीयता दी जाए।
- सभी परिषदीय प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों में नर्सरी से यू०के०जी० तक की प्री-प्राइमरी कक्षाएं अनिवार्य रूप से संचालित करने के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा विभाग तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग संयुक्त रूप से मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में बैठक कर नीति निर्धारित करें।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 में बेहतर संसाधनों से युक्त विद्यालय कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर की संकल्पना पर बल दिया गया है; उक्त के दृष्टिगत 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के Consolidation के लिए रणनीति तैयार की जाए। इससे जहाँ संसाधनों का अभीष्टतम उपयोग हो सकेगा, वहीं छात्रों को बेहतर शिक्षा भी प्राप्त हो सकेगी। साथ ही, कम्पोजिट विद्यालयों एवं अभ्युदय विद्यालयों के कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किए जाने की आवश्यकता है, जिससे प्रदेश के बच्चों को उच्च संसाधनों से युक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 में बच्चों के मानसिक के साथ-साथ शारीरिक विकास पर पर्याप्त बल दिया गया है। विद्यालयों में खेलकूद सम्बन्धी गतिविधियों के नियमित आयोजन से जहाँ बच्चों का आन्तरिक और मानसिक विकास होता है, वहीं उनमें नेतृत्व के गुण एव सामूहिकता की भावना का विकास भी होता है। अतः राजस्व विभाग से समन्वय कर जिन विद्यालयों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, वहाँ खेल के मैदानों का विकास किया जाए ताकि बच्चों को खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिल सके।
- ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत बहुत अच्छा कार्य हुआ है; अभी भी जिन विद्यालयों में 19 पैरामीटर्स (चहारदीवारी, शौचालय पेयजल, आदि) जैसे मानकों पर संतृप्तीकरण में गैप है, उन विद्यालयों पर विशेष फोकस कर उन्हें संतृप्त करते हुए ऑपरेशन कायाकल्प को शीघ्र पूर्ण किया जाए।
- बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है; अतः विद्यालयों के जर्जर भवनों को अभियान चला कर उनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाए तथा उनके स्थान पर नए भवन निर्मित कराए जाएं एवं निर्मित सभी अवस्थापनात्मक संरचनाओं का सैफ्टी ऑडिट नियमित रूप से कराया जाए।
- पूर्व में राजकीय इण्टर कॉलेज तथा राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज जनपद में प्रतिष्ठित संस्थान माने जाते थे। इन विद्यालयों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः

Scanned with OKEN Scanner

स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में प्रयास किए जाएं। प्रोजैक्ट अलंकार के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा Aided विद्यालयों हेतु सहयोगी अनुदान के अधिक से अधिक प्रस्तावों को मंगाकर अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए।

- माध्यमिक एवं बेसिक विद्यालयों में एन०सी०ई०आर०टी० तथा एस०सी०ई०आर०टी० का पाठ्यक्रम चरणबद्ध रूप से लागू करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि एन०सी०ई०आर०टी० की पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय परिवेश, इतिहास एवं संस्कृति से सम्बन्धित विषय वस्तु का समावेश हो।
- प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन किया जाए तथा ऐसे Short Term (3-6 माह) के पाठ्यक्रम विकसित किए जाएं, जिन्हें विद्यार्थी अपनी नियमित पढ़ाई के साथ-साथ पूर्ण कर सकें। कृषि आधारित पाठ्यक्रम तथा ODOP से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाए। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को इन्डस्ट्री के साथ लिंक किया जाए ताकि इन्डस्ट्री की मांग के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके।
- विद्यालयों की गुणवत्ता एवं उनके मानक निर्धारण हेतु State School Standards Authority के गठन की कार्यवाही शीघ्र की जाए।

(एस.पी. गोयल)
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय
संख्या : 26/स.बै./34-लो.शि.-4/2024
लखनऊ दिनांक : 14 अगस्त, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश को माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री जी (स्वतन्त्र प्रभार), व्यावसायिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश को माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

5. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
8. महानिदेशक, चिकित्साय शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

(एस. पी. गोयल)
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री

Scanned with OKEN Scanner